छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांकः एफ 9–1/2012/1–3, **अटल नगर, दिनांक 13/05/2024**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़.

विषयः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय–समय पर किए गए संशोधनों का समावेश करते हुए, निर्देशों का अद्यतन संकलन– स्पष्टीकरण सहित।

संदर्भः– इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3, दिनांक 31.12.2012.

---:::---

इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 द्वारा **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012** का प्रकाशन राजपत्र (असाधारण) में किया गया है। शासन द्वारा समय–समय पर उक्त नियमों में संशोधन किये गये है। संविदा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण की दृष्टि से संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में दिनांक **30.04.2024** की स्थिति में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए, अद्यतन एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न है।

2/ कतिपय विभागों द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान करने तथा संविदा अवधि में वृद्धि करने के पूर्व वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति नहीं ली जाती है। **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4, नियम 5 व नियम 11** में निहित प्रावधानों के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

2.1 नियम 4(2) में विहित पदों पर **वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा

कमशः.....2

नियुक्ति द्वारा उक्त पद भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, **वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में एक वर्ष के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

2.2 नियम 4(3) में विहित पदों पर **सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, **सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** संविदा नियुक्ति की अवधि का एक बार में एक वर्ष के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

2.3 नियम 4(4) में विहित पदों पर **वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की विशेषज्ञता, अनुभव विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा तथा विभागीय आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, **वित्त विभाग की सहमति उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से,** संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

2/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि विभागों द्वारा पदों की पूर्ति के संबंध में की गई कार्यवाही की निगरानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमश.....3

पृ.कमांक एफ 9–1/2012/1–3,   अटल नगर, दिनांक   /05/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़,।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर।
9. सचिव, सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. संचालक, जनसम्पर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
15. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालयीन उपयोग के लिये

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों तथा जारी परिपत्रों का एकजाई संकलन

(30 अप्रैल, 2024 की स्थिति में)

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों/परिपत्रें की सूची

स.क.	जारी परिपत्र कमांक व दिनांक	विषय
01	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31.12.2012	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012
02	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 03.01.2013	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(5); 15(3) व नियम 17 में संशोधन किया गया है।
03	परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 17.01.2013	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक 31.12.2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03.01.2013.
04	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 05.07.2014 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 15.07.2014	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 12 (2)(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
05	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 23.08.2014 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 06.09.2014	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 12 (2)(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, जो 5 जुलाई, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
06	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31.03.2015 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 04.04.2015	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 15 (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
07	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 19.09.2018 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 25.10.2018	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 13 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
08	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 05.12.2018	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 11(1) व नियम 11(3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
09	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 30.12.2019	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(5) व नियम 5(चार) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
10	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 03.08.2023 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 05.10.2023	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9(तीन) व नियम 13(1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
11	अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 29.02.2024 परिपत्र कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 29.02.2024	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9(तीन) व नियम 13(1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

मूल नियम की अद्यतन प्रति
(01 मई, 2024 की स्थिति में संशोधनों सहित)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 31 दिसंबर, 2012

क्रमांक एफ 9–1/2012/1–3 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से परामर्श पश्चात्, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संविदा नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** –
(1) ये नियम ''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012'' कहलाएंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(क) किसी सेवा या पद के संबंध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त हो अथवा शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये;
(ख) **''आयोग''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) **''विभागीय भर्ती नियम''** से अभिप्रेत है संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;
(घ) **''सरकार''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;
(ङ) **''उच्च''** पद से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से ''एक उच्च पद'';
(च) **''सेवानिवृत्त शासकीय सेवक''** से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक;
(छ) **''राज्य''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3 **विस्तार तथा लागू होना,**– ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद /पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंर्तगत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाए।

4 **संविदा नियुक्ति के पद,**– निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :–
(1) ऐसे पद को विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।
(2) विभागीय सेटअप में नियमित पदस्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक लगना संभावित हो।
(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

*(5) राज्यपाल/अध्यक्ष, विधान सभा/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना में स्वीकृत पद, जिन पर नियुक्ति, राज्यपाल/अध्यक्ष, विधान सभा/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को–टर्मिनस) तक के लिए की जानी हो।

5 **नियुक्ति का तरीका**– संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगीः–

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

**(चार) नियम 4(5) में उल्लिखित पदों के लिये, राज्यपाल/अध्यक्ष, विधान सभा/मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये विहित अर्हता, पात्रता एवं उपयुक्तता पर विचार करके.

6 **चयन समिति,**–

(1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध लागू होंगे।

7 **आयु सीमा.**–

(1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।

(2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

---

* अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 द्वारा नियम 4(5) प्रतिस्थापित।

** अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 द्वारा नियम 5(चार) प्रतिस्थापित।

8 नियुक्ति के अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.—

(1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलो में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 व 6 में विहित है।

(2)(क) सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

9 सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ. —

(एक) सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

(दो) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

*(तीन) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

(चार) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

(पाँच) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

(छः) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर;

(सात) दोष सिद्ध होने पर; एवं

(आठ) शासकीय सेवा के लिए अन्य सामान्य अनर्हतायें।

10 आरक्षण.— नियम 4(1) व (2) में विहित संविदा नियुक्ति के पदों पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिये भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

11 नियुक्ति अवधि.—

**(1) नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार, तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, राज्य सरकार, आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात्, संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।

---

* अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 3 अगस्त, 2023 द्वारा नियम 9(तीन) में संशोधन किया गया था, जिसे समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा पुनः पूर्ववत् प्रतिस्थापित किया गया।

** अधिसूचना क्र. एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 5.12.2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) नियम 4(2) एवं (3) में उल्लिखित पदों पर, संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।

*(3) (क)नियम 4(4) के अंतर्गत उल्लिखित पदों पर, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामलें में, संविदा नियुक्ति उनके विशिष्ट अनुभव,उत्कृष्ठ सेवाभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर विशेष प्रकरण के तौर पर दिये जाने की स्थिति में, संविदा नियुक्ति की कालावधि 5 वर्ष की कालावधि की हो सकेगी, जिसे आगे विभागीय आवश्यकता एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता पर विचार कर, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के अभिमत के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा अधिकतम पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए दो बार और बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) नियम 4(5) में उल्लिखित पदों पर, संविदा नियुक्ति राज्यपाल/अध्यक्ष, विधान सभा/ मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि तक के लिए ही दी जा सकेगी।

(4) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12 संविदा वेतन.—

(1) इस नियम के उप—नियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों को छोड़कर,संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) नियम 4(1) व (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय—समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

****(ख)** सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा—

(एक)मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा;

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य भाासन के कर्मचारियों को समय—समय पर अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ते की पात्रता होगी;

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न हैं, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे **मूल वेतन पर** गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नही करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा।''

---

* अधिसूचना क्र. एफ 9—1/2012/1/3 दिनांक 5.12.2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

** अधिसूचना कमांक एफ 9—1/2012/1/3 दिनांक 23.08.2014 द्वारा प्रतिस्थापित एवं 5 जुलाई, 2014 से प्रवृत्त।

(ग) संविदा नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में, अधिवार्षिकी से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में अथवा/या विशेषज्ञता, अनुभव व विशिष्ट योग्यता के आधार पर संविदा नियुक्ति के मामले में, किसी पद पर/उच्च पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक साथ ही अन्यदेय आनुशांगिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से दिये जा सकेंगे।

***13 अवकाश की पात्रता. –**

(1) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण – गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा तथा विश्रामावकाश विभागों के लिये कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

(2) संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

14 यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें.–

(1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं हेतु पात्र होंगे।

(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिये यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधायें नियमों में विहित नहीं हैं तो ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15 अन्य शर्तें.–

(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

**(3) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (परफामेंस एपराईजल रिपोर्ट) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किए जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

---

* अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित तथा अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 3 अगस्त 2023 द्वारा ''18 दिनों'' के स्थान पर ''30 दिनों'' प्रतिस्थापित किया गया, तत्पश्चात् अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा पुनः संशोधन करते हुए, ''30 दिनों'' के स्थान पर ''18 दिनों'' प्रतिस्थापित किया गया है।

** अधिसूचना कमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 31.03.2015 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिये बाध्यकारी होगा।

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है:

परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(6) संविदा पर नियुक्ति सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45–क के अनुसार लाइसेंस भुल्क की वसूली की जाएगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

16 **निर्वचन**.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

17 **नियमों में शिथिलीकरण का अधिकार**.– इन नियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण का अधिकार **शासन*** को होगा।

18 **निरसन तथा व्यावृति**.– इन नियमों की तत्स्थानी समस्त अन्य नियम और निर्देश जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु नए संविदा नियुक्ति नियम प्रभावशील होने के दिनांक के पहले की गई सभी संविदा नियुक्तियां इन नियमों के अंतर्गत की गई तथा वैध मानी जाएंगी तथा संविदा की शेष अवधि में उन पर पूर्व के नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

---

* अधिसूचना क्रमांक एफ 9–1/2012/1/3 दिनांक 03.01.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।